भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1864

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**निचली अदालतों में रिक्त पदों को भरे जाने में विफलता**

**1864. श्री माजीद मेमन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहित दो-स्तरीय भर्ती प्रक्रिया हेतु 153 दिनों और त्रि-स्तरीय प्रक्रिया हेतु 273 दिनों की समय-सीमा के बावजूद निचली अदालतों में 5000 से अधिक रिक्त पदों की चौंका देने वाली संख्या को भरे जाने में असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** सांविधानिक ढ़ांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना सम्बद्ध उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का सम्बंध है, कतिपय राज्यों में भर्ती उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है।

वर्ष 2016 में, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ यह निश्चय किया गया था कि बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में और मलिक मजहर सुल्तान मामला (2006) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अधिकथित समय-सूची तथा निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ ही अपने राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप जिला और उच्च न्यायालयों के संवर्ग सदस्य-संख्या में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए प्रभावी कदम उठाऐगा। यह भी निश्चय किया गया था कि मुख्य न्यायमूर्ति विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालयों की चयन और नियुक्ति समितियां जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को कालिक रूप से मानीटर करेगीं।

सितम्बर, 2016 में विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के संवर्ग सदस्य-संख्या में वृद्धि करने के लिए तथा राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए लिखा था।मई, 2017 में इसे फिर से दोहराया गया था। अगस्त, 2018 में मामलों के लंबन में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में विधि और न्याय मंत्री ने रिक्तियों की स्थिति की नियमित मानीटरी करने और मलिक मजहर सुल्तान मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित समय-सूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ समुचित सहयोग सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। रिट याचिका (सिविल) संख्या 2018 का 2 में स्वप्रेरणा से उच्चतम न्यायालय द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए मानीटर भी किया जा रहा है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने की अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए जनवरी, 2018, जुलाई, 2018 और नवम्बर, 2018 के माह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार और विधि सचिवों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

न्याय विभाग ने स्वीकृत और कार्यरत पदों की रिपोर्ट करने और मानीटरी करने के लिए तथा मासिक तौर पर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को अपने वेबसाइट पर एक वेबपोर्टल आयोजित किया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*